न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

(4)

तारीख दायरा
27.11.2020

तारीख फैसला
14.2.22

न अधिकारी – हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

1. लच्छीराम आत्मज खेमराज जाति मीना निवासी महराना तहसील दीगोद
2. रामकल्याण आत्मज खेमराज जाति मीना निवासी महराना तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

1. पुष्पा बाई पुत्री खेमराज पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी महराना हाल निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. लोकेश आत्मज हजारीलाल जाति मीना निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. गुड्डी कुमारी पुत्री हजारीलाल जाति मीना निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री रवी स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–
संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते में ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0न0 21 रकबा 0.02 है0, ख0न0 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। यह कि उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में वादीगण अपने हिस्से में निहित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहा है एवं प्रतिवादीगण भी अपने– अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अकसर लगान आदि कराने एवं सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। जिससे कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी वैमनस्य बढता जा रहा है। यह वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के कई मर्तबा बटवारा कराने की कहने के उपरान्त भी बटवारा कराने को तैयार नही हुए और प्रतिवादीगण बिना विभाजन करायें ही उक्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण बटवारा कराया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 15.11.2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर विभाजन मौका अनुसार करने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित खसरा कबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 भूमि का वादीगण दी नम्बर 1 लगायत 3 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके को ध्यान में रखते हुए किया जावे। उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाकर अलग खाता कायम किया प्रतिवादी नम्बर 4 को निर्देशित किया जावे कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

दीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :–

1. नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 ग्राम महराना तह0 दीगोद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा लिखित राजीनाम प्रस्तुत कर कथन किया है कि:– यह कि वादीगण व प्रतिवादी गण के मध्य आपस में राजीनाम हो गया है प्रतिवादीगण , वादीगण की बहने एवं भानीज है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग अपने भाई वादी नम्बर 1 व 2 के पक्ष में तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 द्वारा अपना 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 1 व 2 के पक्ष में छोड दिया गया है और प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। यह कि वादीगण व प्रतिवादगण के मध्य आपसी राजीनामा अनुसार अपने हिस्से को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में छोडा गया है। यह कि ग्राम महराना तहसील दीगोद की खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 21 रकबा 0.02 है0, ख0न0 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः वाद में राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमा दिया जावे।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया किये जाने योग्य है । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है :– यह कि ग्राम महराना तहसील दीगोद की खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 21 रकबा 0.02 है0, ख0न0 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः वादी का वाद पत्र सहमति पूर्वक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है और ग्राम महराना की खाता संख्या 191 के ख0न0 21 रकबा 0.02 है0 ख0न0 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 भूमि मे वादीगण (1. लच्छराम 2. रामकल्याण) 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे।

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये तद्नुसार डिक्री जारी हो।

नोट :– भूमि पर रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.2.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

मज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10	27.11.2020	

1. लच्छीराम आत्मज खेमराज जाति मीना निवासी महराना तहसील दीगोद
2. रामकल्याण आत्मज खेमराज जाति मीना निवासी महराना तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

1. पुष्पा बाई पुत्री खेमराज पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी महराना हाल निवासी नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. लोकेश आत्मज हजारीलाल जाति मीना निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. गुड्डी कुमारी पुत्री हजारीलाल जाति मीना निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री रवी स्वामी एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि ग्राम महराना तहसील दीगोद की खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 21 रकबा 0.02 है0, ख0न0 22 रकबा 5.30 है0 कुल किता 2 रकबा 5.32 है0 का उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि में वादीगण को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे।

नोट :– भूमि पर रहन यथावत रहेगा।

तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.2.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई	0	0
स्टाम्प वकालतनाम	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पै
मुदालयह	0	
स्टाम्प अर्जी	0	
स्टाम्प अर्जी	0	
महन्ताना वकील	0	
खर्चा गवाहान	0	
बबत इजराय हुक्मनामा	0	
मुत0	0	
मिलान		

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
दीगोद